राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9909/2023 Shri Rajeev Gupta, M/s Raj Real Estate Developers, Ganesh Bhojnalaya Ke Samne, Dharamshala Road, District-Shivpuri (M. P.)-473551, Prior Environment Clearance for Kerua Sand Quarry in an area of 3.850 ha. (57,750 Cum per annum) (Khasra No. 852) Village-Kerua, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 852) Village-Kerua, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) 3.850 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव गुप्ता (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्मिल खान, (ऑनलाईन) मेसर्स इन—सीटू इंवायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र कमांक 541 दिनांक 01/05/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान पार्वती नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) आवेदित मात्रा के अनुसार नहीं हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खदान एरिया आंशिक रूप से जलमग्न है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—10 के सरल क्रमांक—07 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत)—10,000

घनमीटर उल्लेखित है तथा परियोजना प्रस्तावक 57,750 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु चाहा गया है जो माईनेवल मिनरल पोटेंशियल (60 प्रतिशत) से बहुत अधिक है । तथा अनुमोदित माइन प्लॉन के अनुसार केवल रेत प्राप्ति की मात्रा 57,750 घनमीटर दर्शाई गई है, जो उपलब्ध मात्रा से बहुत अधिक है। अतः समिति की अनुशंसा है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा (60 प्रतिशत) —10,000 घनमीटर ही अनुशंसित की जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने जो के.एम.एल. ऑन—लाईन अपलोड की गई है उसमे एंव माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर प्रस्तुत के.एम.एल. इमेज अनुसार अंतर पाया गया एंव डी.एस.आर. के कोर्डीनेट्स से भी तैयार के.एम.एल. मे भी अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति की यह भी अनुशंसा है, कि संबंधित खनिज अधिकारी के प्रमाणीकरण प्राप्ती उपरांत खदान के सभी को—आर्डिनेट पर आधारित के.एम.एल. इमेज पुनः प्रस्तुत किया जाये, तत्पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

2. <u>Case No 9914/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Budera Sand Quarry in an area of 4.94 ha. (53,200 cum per annum) (Khasra No. 31), Village-Budera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 31), Village-Budera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.94 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 20 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बुढेरा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—16 के सरल कमांक—29 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—56,700 घन मी. उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 53,200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये

पौधों की देख—भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि पूर्व में सेक द्वारा अनुशंसित सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ—साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 53,200 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.67 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) पौधो का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि रू. 7,00,000/— और 10 परसेंट रख रखाव के लिए रू. 70,000/— राशि प्रदान की जायेगी (चूकि परियोजना प्रस्तावक का रेत का ठेके कि अवधि 30/06/2023 तक है)।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
			(संख्या में)
1	नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1–3 पंक्ति – खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास,	1000
'		अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए	
		घास (500)	
		4—5 पंक्ति — कटंग बॉस, (300)	
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा,	

		जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य	
		फलदार वृक्ष एवं स्थिानिय प्रजातियाँ (200)	
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू,	4000
		आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम,	1000
	(पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)	कनक चंपा	
		कुल	6000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.82 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बुड़ेरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे:— 1) 50 टेबल — चेयर का सेट दिया जाएगी। 2) मरम्मत का कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	2,82,406.00

3. Case No 9343/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 7.0 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Kararaganj, Tehsil - Nowgaon, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Kararaganj, Tehsil - Nowgaon, Dist. Chhatarpur (MP) 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 601वीं दिनांक 19/10/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आंनद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया यह रेत खदान धसान नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान का सम्पूर्ण भाग नदी में डूबा

दिखाई दे रहा है, तथा आवंटित लीज के पूर्वी भाग से एक छोटी धारा का प्रवाह है, अतः परिवहन मार्ग प्रस्तावित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसका प्रवाह अवरूद्ध न हो यह परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह गूगल इमेज वर्षाकाल के समय (अक्टूबर—22) की है जिस कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में पानी भरा दिख रहा है किंतु दिसम्बर—जनवरी से पानी उतरने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जो जनवरी—21 की गूगल इमेज से (टॉर के प्रस्तुतीकरण के दौरान) स्पष्ट होता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र डूब में होने के कारण लगभग 2.40 हे0. क्षेत्र डूबा हुआ है जो कि नॉन माइनिंग एरिया प्रस्तावित है तथा लगभग 2.76 हे0. क्षेत्र खनन कार्य के लिये उपलब्ध है। अतः वांछित रेत की पूर्ति ''रिप्लेनिशमेंट प्लान'' के अनुसार हो रही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका (पेज न. 77) के सरल क्रमांक—37 पर माईनेवल मिनरल पोटेशियल (60 प्रतिशत)—1,26,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,000 घन मीटर की हेतु आवेदन किया गया है । अतः खनिज विभाग यह सुनिश्चित् करें कि स्वीकृत मात्रा 25,000 घनमीटर /वर्ष से अधिक का उत्पादन इस खदान से न हो, विशेष व्यवस्था जैसे ई—टी.पी. एंव मॉनिटरिंग संबंधी विशेष व्यवस्थायें स्थापित की जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य उक्त नदी के जल ग्रहण क्षेत्र क्षेत्र में करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षी तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में दी जायेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसूनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा यहां का हैण्ड पंप खराब है उसे सूधरवाया जाये, यहां पर गाय खुलें में घूमती है, गौशाला नही उसे बनवाया जाये इत्यादि के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौशाला के निर्माण में रू. 60,000 का आर्थिक सहयोग किया जायेगा ऐसा कहां एवं अन्य बिन्दुओं को उनके द्वारा ई.एम.पी. / सी.ई.आर. में शामिल किया गया। अतः परियोजना प्रस्तावक की सहमति अनुसार उक्त प्रावधानित कार्य पूर्ण किये जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 25,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.53 लाख प्रति वर्ष।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 4.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—
- 6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख—रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	स्थान		(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के	4,000
	1 से 6 पक्तियों में)	स्लीपसए गटायन के बीज एंव स्थानीय घास (2,000)	
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस (1,000)	
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल	
		जलेवी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय	
		प्रजातियां (1000)	
2.	ग्राम– करारागंज, भानपुरा,	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू,	4210
	करहरा खुर्द, खैरउ और	बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
	बिरगमके ग्रामवासियों में		
	वितरण हेतु		

3.	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम् ऊँचाई 1 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
4.	करारागंज सरकारी विद्यालय में वितरण हेतु (पौधो के सुरक्षा हेतु बांऊड्रीवाल बना चुकी है।)		50
		योग	8400

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गाँव करारागंज में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	55,000 / —
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत करारागंज के माध्यम से गाय, बैल आदि के लिए गौशाला के निर्माण के लिए धनराशि	60,000 / —
योग	1,15,000

4. <u>Case No 9908/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660 Prior Environment Clearance for Basaimalik Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (49447.50 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Basaimalik, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Basaimalik, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.98 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 08 दिनांक 02/01/2023 (लीज हंस्तातरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सिंध नदी में स्थित है प्रस्तावित खदान नदी धारा के बीच में स्थित है नदी का प्रवाह खदान क्षेत्र में से होकर निकल रहा है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र का वह भाग जो नदी के प्रवाह में वह भाग नॉन माईनिंग के रूप में छोडा जायेगा एवं वहां खनन् कार्य प्रस्तावित नही है एंव नदी धारा को कास नहीं करेंगे एंव रेत का इवेक्यूशन दक्षिण—पूर्वी दिशा से किया जाना प्रस्तावित है। नदी के डाऊन स्ट्रीम में एक निर्माणाधीन रोड़ ब्रिज 510 मीटर की दूरी पर स्थित है।

वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—07 के सरल क्रमांक—28 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—58,800 घन मी. उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 49,447.50 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख—भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ—साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु वन विभाग की वृक्षारोपण योजना अनुसार आवश्यक धनराशि वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। यदि वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव किया जावेगा एवं तत्संबंध में राशि ग्राम पंचायत को दी जायेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 49,447.50 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.68 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) पौधो का रोपण प्रथम वी (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंद्धित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को निर्धारित राशी 7,12,500 और 10 परसेंट रख रखाब के लिए 71,250 राशि प्रदान की जायेगी ।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
			(संख्या में)
1	नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1—3 पंक्ति — खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के	1500
'		स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (700)	
		4—5 पंक्ति — कटंग बॉस, (500)	
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल	
		जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं	
		स्थिानिय प्रजातियाँ (300)	
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम	3750
-		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
	(पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई 1 मीटर)		
		कुल	6000

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.62 लाख तथा प्रस्तावित सभी कार्य खनन अवधि समाप्ति के पूर्व में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बसईमलक स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :— 1). 50 टेबल — चेयर का सेट दिया जाएगी। 2). मरम्म्त का कार्य तथा सौन्दर्यीकरण	2,62,000
योग	

5. Case No 9889/2023 Shri Jeewan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)-452020, Prior Environment Clearance for Kampel Stone M-sand & Murrum Quarry in an area of 3.44 ha. (Stone-17,236, Murrum-11,725, M-sand-17236 Cum per annum) (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)

This is case of Stone M-sand & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3),

Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP) 3.44 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंविटत है। खदान क्षेत्र दो भागो में है खदान के पिश्चमी भाग में कुछ कंस्ट्रक्शन गतिविधि एवं एक कच्चा रोड़ खदान के दिक्षणी भाग से लगा हुआ निकल रही है जो आगे जाकर दिक्षण दिशा में समाप्त हो जाता है । इस संबंध में पिरयोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि उनके द्वारा अज्ञानतावश कि प्रश्नाधीन खदान में पर्यावरणीय स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2022—23 में एम.—सेण्ड प्लांट स्थापित किया है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—55 के सरल कमांक—06 पर दर्ज है, प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिनित ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

- 1. No mining operations till the grant of EC.
- 2. Project description, its importance and the benefits.
- 3. Slurry Management Plan discussed in the EIA report.
- 4. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carried out and discussed in the EIA report.
- 5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
- 6. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
- 7. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO₂, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
- 9. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- 10.Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
- 11. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
- 12.Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
- 13. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studies and discussed in the EIA report.
- 14. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

- 15.Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- 16. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
- 17. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.
- 6. Case No 9900/2023 Shri AJAY KUMAR JAIN Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Development of 359 ha. Smart Industrial Township Pithampur, Phase-II, Sector-07 (Investment Region Development and Management Scheme) at Pithampur District, Dhar, Indore (M.P.). Category- 7-C.

This is case of Prior Environment Clearance for proposed Development of 359 ha. Smart Industrial Township Pithampur, Phase-II, Sector-07 (Investment Region Development and Management Scheme) at Pithampur District, Dhar, Indore (M.P.).

The case was presented by PP Shri N.S. Rajput, Executive Engineer, MPIDC, Authorized representative and their Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P.

During presentation Env. Consultant informed committee that the actual name of Project Proponent is Shri N.S. Rajput, Executive Engineer, from MPIDC while on Parivesh Portal the the name of Project Proponent i Ajay Kumar Jain Executive Engineer errorly mentioned .Further, during presentation Env. Consultant stated the Forest land involved in the Proposed Development project of 359 ha. at Smart Industrial Township Pithampur while PP stated that no forest land is a part of Proposed Development project.

Hence, the committee asked PP and their Env. Consultant to submit correct name of applicant and amendeded project details and same shall be submitted on the Praivesh Portal through SEIAA.

7. Case No 9880/2023 M/s Shreenathji Infrastructure, Aakriti Greens, A-3/605, Salaiya, District-Bhopal (MP)-462039 Prior Environment Clearance for Bhordu Dolomite Mine in an area of 6.790 ha. (Expansion from 2025 to 50,866 Tonne per annum) (Khasra No. 114, 248, 250, 251, 255) Village- Bhordu, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 941/3 P), Village-Bhitri, Tehsil-Niwari, District-

Niwari (MP) 4.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविंद सिंह यादव (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13 दिनांक 07/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है परन्तु प्रश्नाधीन खदान का रकबा 5.0 है. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है जो कि क्षमता विस्तार का प्रकरण है जिसके दक्षिण—पूर्व दिशा में 164 मीटर, 170 मीटर एवं 258 मीटर पर बिरले आवास दिखाई दे रहे हैं। अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—41 के सरल कमांक—08 पर दर्ज है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तो जैसे पौधारोपण एंव सी.ई.आर. सिहत अन्य शर्तो का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालन प्रतिवेदन, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 2. खदान क्षेत्र के दक्षिण—पूर्व दिशा में 164 मीटर, 170 मीटर एवं 258 मीटर पर बिरले आवास दिखाई दे रहे है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 3. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है अतः ट्री इंवेट्री (वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति की सूची एवं रोपण योजना का विवरण) एंव आंवटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

8. Case No 9890/2023 Shri Anil Dubey, Owner, FF2, DD Complex, Vijay Nagar, Near Deendayal Chowk, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Midasan Murrum Quarry in an area of 3.65 ha. (9800 Cum per annum) (Khasra No. 233P), Village- Midasan, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 233P), Village- Midasan, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP) 3.65 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल दुवे (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3338 दिनांक 09/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र पठार पर स्थित है खदान के पूर्वी भाग में लगभग 84 मीटर पर आबादी है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरूम का प्रकरण होने के कारण ड्रिलिंग एंव ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है 100 मीटर तक का क्षेत्र नॉन—माइनिंग क्षेत्र है खदान का पश्चिमी एंव पूर्वी भाग जो कि पेड़ों से अच्छादित है। खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। पश्चिम दिशा में ही 120 मीटर की दूरी पर उप—नहर है, उत्तर पूर्व दिशा में 335 मीटर की दूरी पर कुछ शेड बने हुए है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 69 दिनांक 19/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि डीएसआर रिपोर्ट में आवेदक का प्रकरण सम्मिलित कर लिया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिमसें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. खदान के पूर्वी भाग मे लगभग 84 मीटर पर आबादी है एंव पिश्चम दिशा में ही 120 मीटर की दूरी पर उप—नहर है, उत्तर पूर्व दिशा में 335 मीटर की दूरी पर कुछ शेड़ बने हुए है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।

- 2. पहाड़ी क्षेत्र पर खनन के परिणामस्वरूप पहाड़ का स्वरूप बदल जायेगा । इस बदलाव के कारण कितना जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा एंव जल ग्रहण क्षेत्र मे हुयी कमी को किस प्रकार से प्रतिपूर्ति की जायेगी इसकी योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
- 3. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में निचले क्षेत्र में जलभराव संभावित है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
- 4. खदान के दक्षिण—पश्चिम दिशा में 82 मीटर की दूरी पर आबादी है, पश्चिम दिशा में ही 120 मीटर की दूरी पर नहर / रोड़ अस्पष्ट है, उत्तर पूर्व दिशा में 335 मीटर की दूरी पर कुछ शेड बने हुए है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
- 5. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 7. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 9. Case No 9897/2023 Shri Bhoopendra Sahu, Leessee, R/o 97, Mohan Nagar, Agar Road, District-Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Rudaheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 546/2, 556/1, 556/2, 556/3), Village-Rudaheda, Tehsil-Ghattiya, District-Ujjain (MP)

This is case of Stone (Gitti). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 546/2, 556/1, 556/2, 556/3), Village- Rudaheda, Tehsil-Ghattiya, District- Ujjain (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र साहू (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 24/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंवटित है खदान के उत्तर क्षेत्र में 10 मीटर की दूरी पर कच्ची रोड़ जैसी संरचना

दिखाई दे रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक निजी भूमि पर पगडंडी है एवं उत्तर दिशा में 455 मीटर की दूरी पर एक पक्की रोड़ है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन ने पत्र क्रमांक 305 दिनांक 07/02/2023 के द्वारा सूचित किया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022—23 में बनी है, जबिक उत्खिनपट्टा की सैद्धांतिक जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् स्वीकृत की गई है। उक्त उत्खिनिपट्टा में संपूर्ण प्रिक्रिया पूर्ण (उत्खिनपट्टा संचालित) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सिमालित कर लिया जावेगा । सिमित ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है :—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के है खदान के उत्तर क्षेत्र में 10 मीटर की दूरी पर नालीनुमा संरचना दिखाई दे रही है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 6. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
- 10. Case No 9894/2023 Shri Amarnath Sharma, R/o 46, Shanti Vihar Colony, Thatipur, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Ladhera Stone Quarry in an area of 2.40 ha. (19,380 Cum per annum) (Khasra No. 675, 677, 678), Village-Ladhera, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (M.P.).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 675, 677, 678), Village-Ladhera, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 2.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमरनाथ शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 672 दिनांक 11/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंविटत है खदान क्षेत्र पहाडी पर है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए है, खदान के उत्तर दिशा में एक कच्चा रोड़ निकट से जा रहा है जो आगे जाकर पश्चिम दिशा में 680 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ से मिल जाता है एवं दक्षिण पूर्व दिशा में 560 मीटर पर आबादी है, पश्चिम दिशा में 410 मीटर पर पक्का निर्माण कार्य दिख रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. (क्षमता — 19,380 घनमीटर / वर्ष) है पत्र क्रमांक 202 दिनांक 13 / 09 / 18 के माध्यम से प्राप्त की गई थी

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 40 के सरल कमांक— 101 पर दर्ज है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्ता का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों में माइनिंग प्लान के अनुरूप कितनी मात्रा का खनन कार्य होना था, कितना खनन कार्य हुआ, कितनी गहराई तक खनन कार्य हुआ है तथा यह भी स्पस्ट करेंगे कि खनन कार्य माइनिंग प्लान के अनुरूप हुआ है कि नहीं, यदि नहीं हुआ है तो माइनिंग प्लान के किन—किन बिन्दुओं का उल्लंघन हुआ है इन तथ्यों को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. खदान के उत्तर दिशा में एक कच्चा रोड़ निकट से जा रहा है जो आगे जाकर पश्चिम दिशा में 680 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ से मिल जाता है एवं दक्षिण पूर्व दिशा में 560 मीटर पर आबादी है, पश्चिम दिशा में 410 मीटर पर पक्का निर्माण कार्य दिख रहा है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

11. Case No 9874/2023 Smt. Arti Ahirwar W/o Shri Satish Ahirwar R/o Village Karonda, District Sagar (MP)-470113, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (45000 Cum Per Year) (Khasra No. 941/3 P), Village-Bhitri, Tehsil-Niwari, District-Niwari (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 941/3 P), Village-Bhitri, Tehsil-Niwari, District-Niwari (MP) 4.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एल.एल.पी. गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 643 दिनांक 20/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 22 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड है एवं पश्चिम दिशा में 45 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में आया कि इस प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 211 दिनांक 21/04/23 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह उल्लेखित है कि ग्राम ग्राम भीतरी, तहसील व जिला निवाड़ी के खसरा नं. 941/3/1 रकबा 4.00 हे. पर श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह को स्वीकृत खनिज पत्थर की खदान को संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा आदेश क्रमांक 7446—50 दिनांक 26/05/2022 के माध्यम से निरस्त करते हुए श्रीमती आरती अहिरवार को स्वीकृत की गई है । उक्त शिकायत सिया में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक — 9104/2022 से संबंधित है एवं इस प्रकरण में सेक की अनुशंसा उपरांत दिनांक 20/05/22 को टॉर जारी किया गया है यह भी उल्लेखनीय है, कि उक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु श्रीमती आरती अहिरवार द्वारा परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन क्रमांक 417202/23 प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त संबंध में समिति ने उक्त प्रकरण को परीक्षण करने के उपरांत पाया कि उक्त खनन क्षेत्र में जिलाध्यक्ष निवाडी के आदेश दिनांक 11/06/2019 से जिला – निवाडी, तहसील– निवाडी,

ग्राम—भीतरी के खसरा न0. 941/3/1, रकबा 4.00 हे0. पत्थर खदान हेतु नवकरण पर मंजूर किया गया था जिसे श्रीमित आरती अहिरवार को संचालनालय, भौमिकी तथा खिनकर्म द्वारा आदेश क्रमांक 7446—50 दिनांक 26/05/2022 के माध्यम से स्वीकृत हुआ। जिस पर श्री विरेन्द्र प्रताह सिंह द्वारा उब्लू.पी. 15562/2022 मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर किया गया है, जिस पर दिनांक 29/11/2022 पर सुनवाई हुई । उक्त विषय पर मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का क्या निर्णय हुआ है उसकी जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रकरण को आज दिनांक 12/05/2023 को Appraised किया गया व समिति ने सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक ई. आई.ए. रिपोर्ट में मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित समस्त आदेशों/निर्णय/ की प्रतियों का अनिवार्य रूप से ई.आई. ए. रिपोर्ट में शामिल करते हुये प्रस्तुत करेंगे तथा यदि संचालनालय, भौमिकी तथा खिनकर्म, म.प्र. शासन स्तर पर यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी भी जानकारी का समावेश ई.आई. ए. रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से शामिल करते हुये प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित समस्त आदेशों / निर्णय की प्रतियों का अनिवार्य रूप से ई.आई. ए. रिपोर्ट में शामिल करते हुये प्रस्तुत करेंगे तथा यदि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. शासन स्तर पर यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी भी जानकारी का समावेश ई.आई. ए. रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से शामिल करते हुये प्रस्तुत करेंगे।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 6. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
- 12. Case No 9860/2023 Shri Sohan Singh S/o Shri Vrandavan R/o Village Asravad Buzurg, Tehsil Indore, District Indore (MP)-452016. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7000 Cum Per Year) (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore,

District-Indore (MP) 1.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतर्गत आता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंविटत है खदान क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है खदान क्षेत्र रेणुका मंदिर से 224 मीटर की दूरी पर है तथ पूर्व दिशा में 70 मीटर एवं उत्तर दिशा में 212 मीटर पर औद्योगिक शेड दिखाई दे रहे है । पूर्व दिशा में 185 मीटर की दूरी पर आवासीय मकान दिखाई दे रहे है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा अज्ञानतावश कि प्रश्नाधीन खदान बिना पर्यावरणीय स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2016 में खनन् कार्य किया है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है । एकल प्रमाण पत्र अनुसार उत्खनिपट्टा वन क्षेत्र से 40 मीटर की दूरी पर हेने के कारण पूर्व में संभागीय आयुक्त समिति से 50 मीटर की दूरी छोड़कर अनुमित प्राप्त है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर ने पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24/02/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर रिपोर्ट में सिम्मिलत किया जावेगा।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with

standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

- 1. पश्चिम दिशा में एक अन्य खदान स्थित है एंव खदान के चारों ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे हैं। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एंव खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन—कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है और निवासियों पर खदान के क्या प्रभाव पड़ेगे । ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
- 2. पहाड़ी क्षेत्र पर खनन के परिणामस्वरूप पहाड़ का स्वरूप बदल जायेगा । इस बदलाव के कारण कितना जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा एंव जल ग्रहण क्षेत्र मे हुयी कमी को किस प्रकार से प्रतिपूर्ति की जायेगी इसकी योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
- 3. खदान क्षेत्र के पास में पहाड़ी पर स्थित रेणुका टेकरी का ऐतिहासिक महत्व एंव इसके बारे में राज्य पुरातत्व विभाग / जिला स्तर कार्यालय से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।
- 4. खदान क्षेत्र कुछ भाग खुदा हुआ है। इस संबंध में पंचायत की स्वीकृति आदेश यदि कोई पारित हुआ था उसका पालन प्रतिवेदन एंव स्वीकृत अनुसार जिन कार्यों में उपयोग होना था उसका उपयोग प्रमाणिकता ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. PP shall submit DFO NOC with respect to H'ble Supreme Order issued on dated 03.06.2022 as Ralamandal WLS existed in the district.
- 6. No mining operations till the grant of EC.
- 7. Project description, its importance and the benefits.
- 8. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carried-out and discussed in the EIA report.
- 9. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
- 10. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
- 11. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 12. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO₂, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
- 13. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- 14. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).

- 15. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
- 16. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
- 17. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studies and discussed in the EIA report.
- 18. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- 19. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- 20. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
- 21. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.

13. <u>Case No 9859/2023 Ku. Mamta D/o Shri Babulal R/o Village Asravad Buzurg, Tehsil Indore, District Indore (MP)-452016. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (7000 Cum Per Year) (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 199/1/2) Village-Malikhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) 1.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 542 दिनांक 24/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतर्गत आता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंवटित है खदान क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा रेणुका मंदिर से 239 मीटर की दूरी पर है । औद्योगिक शेड दिखाई दे रहे है जो पूर्व दिशा में 185 मीटर की दूरी, उत्तर दिशा में, 223 मीटर पर पश्चिम दिशा में एवं 280 मीटर एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनके द्वारा अज्ञानतावश कि प्रश्नाधीन खदान बिना पर्यावरणीय स्वीकृति लिये बिना वर्ष 2016 में खनन् कार्य किया है अतः यह प्रकरण Violation श्रेणी के अंतगर्त आता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। एकल प्रमाण पत्र अनुसार वन मण्डलाधिकारी के पूर्व पत्र क्रमांक 9386 दिनांक 04/10/2007 अनुसार वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की दूरी आदेश के पूर्व से स्वीकृत खदानों पर लागू नहीरं होंगे, पर उतखनिपट्टा स्वीकृत किया गया था । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—48 के सरल क्रमांक—96 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतींकरण के दौरान समिति ने पाया कि पश्चिम दिशा मे एक अन्य खदान स्थित है एंव खदान के चारों ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे है। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एवं खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन–कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे है, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है। गूगल एमेज अनुसार इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है ।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

- 1. पश्चिम दिशा में एक अन्य खदान स्थित है एंव खदान के चारों ओर बहुत से निर्मित भवन दिख रहे है। अतः प्रत्येक संरचना जैसे भवन/आवास/उद्योग आदि के उपयोग के बारे में बतायें एंव खनन स्थल से 50 मी. की दूरी पर कौन—कौन सी संरचना एंव वर्तमान उपयोग आदि तथा यदि वहां पर औद्योगिक कार्य हो रहा है तो कितने श्रमिक कार्य कर रहे है, और यदि आवासीय क्षेत्र है तो कितने लोग निवासरत् है और निवासियों पर खदान के क्या प्रभाव पड़ेगे । ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
- 2. खदान क्षेत्र के पास में पहाड़ी पर स्थित रेणुका टेकरी का ऐतिहासिक महत्व एंव इसके बारे में राज्य पुरातत्व विभाग / जिला स्तर कार्यालय से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें।
- 3. PP shall submit DFO NOC with respect to H'ble Supreme Order issued on dated 03.06.2022 as Ralamandal WLS existed in the district.
- 4. The PP shall stop all the mining operations till the grant of EC.
- 5. Project description, its importance and the benefits.
- 6. Protection plan wrt for nearby temple, industry and human settlement shall be prepared and discussed in the EIA report.
- 7. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carriedout and discussed in the EIA report.
- 8. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
- 9. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
- 10. There is slight difference in the area of sanctioned lease in the DSR and approval letter hence same shall be redtified with the concerned MO and attached with the EIA report.
- 11. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
- 12. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO₂, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
- 13. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
- 14. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
- 15. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.

- 16. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
- 17. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studies and discussed in the EIA report.
- 18. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
- 19. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- 20. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
- 21. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.
- 14. <u>Case No 9898/2023 Shri Devendra Shivhare, Owner, R/o Indra Nagar, Kabrai, District-Mahoba (UP)-210424, Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 4.80 ha. (101204 Tonne per annum) (Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2,720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil-Ghattiya, District- Ujjain (MP)</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site ((Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2,720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil-Ghattiya, District- Ujjain (MP) 4.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 279 दिनांक 22/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंवटित है खदान के उत्तर दिशा में 22 मीटर की दूरी एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में 55

मीटर की दूरी पर अर्धनिर्मित सरंचना/मकान है, दक्षिण दिशा में 86 मीटर की दूरी पर एवं उत्तर—पूर्व में 330 मीटर की दूरी पर प्लॉट के शेड है, पूर्वी दिशा में 104 मीटर एवं उत्तर—पूर्व दिशा में 193 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है, खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य हेतु ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। एकल प्रमाण—पत्र अनुसार वनमण्डलाधिकारी पश्चिम (सा.) वन मण्डल, मण्डला के पत्र क्रमांक 1193 दिनांक 12/05/21 के अनुसार आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक 702 से 250 मीटर से कम दूरी पर होने के फलस्वरूप प्रकरण पर वन मण्डल से वन क्षेत्र की दूरी संबंधी आपत्ति दर्ज की गई थी। किमश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की बैठक दिनांक 28/12/22 में वनमण्डला अधिकारी, मण्डला एवं कलेक्टर मण्डला से चर्चा उपरांत वनसीमा की ओर आवेदित क्षेत्र में चेनलिंग करने की शर्त पर सर्वसम्मित से अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—42 के सरल क्रमांक—44 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रिक्या पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सिम्मिलित कर ली जावेगी। चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्मांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है:—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 22 मीटर की दूरी एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में 55 मीटर की दूरी पर अर्धनिर्मित सरंचना / मकान है, दक्षिण दिशा में 86 मीटर की दूरी पर एवं उत्तर—पूर्व में 330 मीटर की दूरी पर प्लॉट के शेड है, पूर्वी दिशा में 104 मीटर एवं उत्तर—पूर्व दिशा में 193 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है । अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
- 2- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

15. Case No 9857/2023 M/s DG Bundelkhand Granite LLP, Partner Shri M.K. Meena R/o 1st Floor, Chetak Complex, Near FCI Bhavan, Zone-II, MP Nagar Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 3.290 ha. (16895 Cum Per Year) (Khasra No. 1469) Village-Beejour, Tehsil-Niwari, District-Nivari (MP)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1469) Village-Beejour, Tehsil-Niwari, District-Nivari (MP) 3.290 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

16. Case No 9856/2023 Shri Ravikant Agrawal S/o Shri Ram Sahay Agrawal R/o Village Aluva Viran, Tehsil Nowgaon, District Chhatarpur (MP)-471201. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (20000 Cum Per Year) (Khasra No. 66P) Village-Aluva Viran, Tehsil-Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 66P) Village-Aluva Viran, Tehsil-Nowgaon, District-Chhatarpur (MP) 3.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा (ऑनलाईन) मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा. लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए।। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 631 दिनांक 24/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पहाड़ी पर आंवटित है जिसके दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर एक कच्चा रोड़ है, दक्षिण—पूर्वी दिशा में 310 मीटर की दूरी पर आबादी है एवं पश्चिम दिशा में 419 मीटर दूरी पर एक तालाब है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—94 के सरल कमांक—28 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्ता का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्ता व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर एक कच्चा रोड़ है, दक्षिण—पूर्वी दिशा में 310 मीटर की दूरी पर आबादी है एवं पश्चिम दिशा में 419 मीटर दूरी पर एक तालाब है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
- 2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 3. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

17. Case No 9864/2023 Shri Manoj Agarwal S/o Shri Siyaram Agarwal R/o Kali Mata Mandir Ke Pass Naingarh Road, District- Morena (MP)-476001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.176 ha. (31920 Cum Per Year) (Khasra No. 2941) Village-Dhanela, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2941) Village-Dhanela, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) 3.176 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज अग्रवाल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1124

दिनांक 21/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंविटत है, खदान क्षेत्र खुदा हुआ है (गूगल इमेज वर्ष 2020) जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व से खुदा है तथा हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा हमारे द्वारा खनन् कार्य नहीं किया गया है जिसको माइनिंग प्लान में प्रस्तुत किया गया है। जिसके दिक्षण दिशा में 114 मीटर दूरी पर पक्की रोड़ है, पूर्व दिशा में 19 मीटर की दूरी पर एक कच्ची संड़क है, दिक्षण पूर्व दिशा में 211 मीटर की दूरी पर आबासीय मकान है एवं पश्चिम दिशा में 265 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) द्वारा पत्र क0. 1124 दिनांक 21/10/22 द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जायेगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान सिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 114 मीटर दूरी पर पक्की रोड़ है, पूर्व दिशा में 19 मीटर की दूरी पर एक कच्ची संड़क है, दक्षिण पूर्व दिशा में 211 मीटर की दूरी पर आबासीय मकान है एवं पश्चिम दिशा में 265 मीटर की दूरी पर जल रोकने की संरचना है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 2- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

18. <u>Case No 9896/2023 M/s Emerald Industries Limited, Vijaya Nagar, Behind Sanskar Garden, Chetakpuri, Gird, Lashkar, District-Gwalior (MP)-474009, Prior Environment Clearance for Kherona Flagstone Mine in an area of 4.00 ha. (15300 Cum per annum) (Khasra No. 405), Village- Kherona, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 405), Village- Kherona, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP) 4.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश लारिया, संचालक उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र कमांक 123 दिनांक 19/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आंविटत है जिसके खदान क्षेत्र की सीमा के अंदर पूर्वी दिशा में एक स्टोन पॉलीशिंग प्लान्ट का हिस्सा आ रहा है, प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह स्टोन पॉलीशिंग खदान मालिक के स्वामित्व मे है। पूर्वी दिशा में 140 मीटर एवं उत्तर—ंपश्चिम दिशा में 444 मीटर की दूरी पर प्राकृति जलमार्ग है, पूर्वी दिशा में 380 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। खनिज अधिकारी खनिज कार्यालय, जिला— शिवपुरी द्वारा पत्र क0. 123 दिनांक 19/01/2023 द्वारा अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र को नवीन डी.एस.आर. में जोड़ ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

- 1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र के खदान क्षेत्र की सीमा के अंदर पूर्वी दिशा में एक प्लान्ट का हिस्सा आ रहा है, पूर्वी दिशा में 140 मीटर एवं उत्तर—पश्चिम दिशा में 444 मीटर की दूरी पर प्राकृति जलमार्ग है, पूर्वी दिशा में 380 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1862 दिनांक 31/10/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022—23 में बनी है, जिसमें गाम बिठया शामिल है । उपरोक्त उत्खिनपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खिनपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खिनपट्टा को शामिल किया जावेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।

19. Case No 9895/2023 Shri Shekhar Patwala, R/o 72, Sukh Niwas, Gram-Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Jhigadi Stone Quarry in an area of 3.60 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 82, 81/1, 81/2, 81/5), Village-Jhigadi, Tehsil-Badwaha, District-Khargone (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 82, 81/1, 81/2, 81/5), Village-Jhigadi, Tehsil-Badwaha, District-Khargone (MP) 3.60 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिखर पटवाला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9627

दिनांक 25 / 02 / 2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंविटत है खदान क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ मे पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पिट प्रासपेक्टिंग के लिये खोदा गया था खदान क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया । खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 78 मीटर की दूरी पर एच.टी. लाईन निकल रही है तथा खदान क्षेत्र में पेड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने टॉर प्रस्तुतीकरण के दरिमयान जिला सर्वेक्षण रिर्पोट में नाम जोड़ने बावत् खनिज अधिकारी का पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है, चूँिक प्रकरण टॉर का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. आवंटित खनन् क्षेत्र के जिसके पूर्व दिशा में 45 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है एवं उत्तर पश्चिम दिशा मे 78 मीटर की दूरी पर एच.टी. लाईन निकल रही है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 2- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 7. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
- 20. <u>Case No 9888/2023 Shri Vishal Parihar, Proprietor, R/o Diwanpura, Cinema Line, District-Rajnandgaon (CG)-491441, Prior Environment Clearance for Bhatgawa-Sunehara Dolomite Mine in an area of 11.410 ha. (100448 Tonne per annum) (Khasra</u>

No. - 459/1, 385/1, 385/3, 457/1), Village- Bhatgawa-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP).

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 459/1, 385/1, 385/3, 457/1), Village- Bhatgawa-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) 11.410 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल परिहार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 260 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंविटत क्षेत्र के अंदर काफी सारे पेड़ लगे हुए है, पूर्व दिशा में 355 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड तथा दक्षिण—पूर्व दिशा में 390 मीटर की दूरी पर एक प्लान्ट है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—66 के सरल क्रमांक—11 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1- A study namely "Ecological Services in Terms of Financial Value along with Flora/Wild Life Conservation Plan" shall be carried-out by PP from TFRI/SFRI/or any Competent Government Institutes and study shall be submitted with the EIA report.
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र पूर्व दिशा में 355 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड तथा दक्षिण—पूर्व दिशा में 390 मीटर की दूरी पर एक प्लान्ट है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये
- 3. प्रश्नाधीन खदान में अंदर काफी सारे पेड़ लगे दिख रहे है, अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण एंव आंवटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8- Ownership details of the adjoining proposed mining area.

21. Case No 9873/2023 Shri Vimal Bhadur Singh S/o Late Shri Thakur Virendra Singh R/o Satendra Bhawan, Bhatta Mohalla, Tehsil & District Katni (MP)-499501, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 8.020 ha. (98183 TPA) (Khasra No. 417/1, 417/2, 420/1, 420/2), Village-Bhatgawa Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 417/1, 417/2, 420/1, 420/2), Village-Bhatgawa Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) 8.020 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विमल बहादुर सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 261 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आंवटित क्षेत्र के अंदर काफी सारे पेड़ लगे हुए है, खदान क्षेत्र के बीच में से उत्तर—दक्षिण दिशा में कच्चा रास्ता जा रहा है एवं 12 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक दूसर कच्चा रास्ता है, खदान के उत्तर दिशा में कमांशः 17 मीटर एवं 40 मीटर पर मकान है तथा उत्तर दिशा में 86 मीटर की दूरी पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—66 के सरल कमांक—12 पर दर्ज है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1- A study namely "Ecological Services in Terms of Financial Value along with Flora/Wild Life Conservation Plan" shall be carried-out by PP from TFRI/SFRI/or any Competent Government Institutes and study shall be submitted with the EIA report.
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र खदान क्षेत्र के बीच में से उत्तर—दक्षिण दिशा में कच्चा रास्ता जा रहा है एवं 12 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक दूसर कच्चा रास्ता है, खदान के उत्तर दिशा में

कमांशः 17 मीटर एवं 40 मीटर पर मकान है तथा उत्तर दिशा में 86 मीटर की दूरी पर आवादी

है । अतः इनकी रारक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

प्रश्नाधीन खदान में अंदर काफी सारे पेड़ लगे दिख रहे है, अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति 3. एवं रोपण योजना का विवरण एवं आंवटित खदान क्षेत्र की झोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र 4. के वैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उराके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का ख्यान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर 5.

ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

रेनवॉटर हार्वेरिटंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सव सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

ओव्हर वर्डन एवं टॉपरवाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये । 7.

Ownership details of the adjoining proposed mining area.

(चंद्र मोहन छाकूर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुवे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any

- damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure-'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकरण पश्चात ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुडाई एवं सडी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

• सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

	पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खसं, घासं, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	,
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् ३ वर्ष
- जामुन, कहवा, करज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर